राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः चि.प्र./क्लि.एस.एक्ट /2019/ 228-37 दिनांकः 2-7-19

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– राजस्थान नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) नियम 2013 के अन्तर्गत सभी चिकित्सा नैदानिक प्रयोगशाला या रोगी विज्ञान प्रयोगशाला का पजीकरण बाबत।

संदर्भः– निदेशालय का पत्र संख्या 751 दिनांक 06.07.18 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सदर्भित परिपत्र के क्रम में लेख है कि नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम 2010 राजस्थान राज्य द्वारा अंगिकृत किया हुआ हैं। उक्त अधिनियम की धारा 54 के तहत् नियम बनाकर अधिसूचना जारी कर राजस्थान नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) नियम 2013 लागू कर दिये गये।

केन्द्र सरकार द्वारा चिकित्सा नैदानिक प्रयोगशाला या रोगी विज्ञान प्रयोगशाला हेतु न्यूनतम मानक को निर्धारित करते हुए नैदानिक स्थापन (केन्द्र सरकार) नियम 2018 की अधिसूचना जारी की गई जिसको राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया हैं।

अतः समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि जिले में स्थापित चिकित्सा नैदानिक प्रयोगशाला या रोगी विज्ञान प्रयोगशाला का राजस्थान नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) नियम 2013 एवं नैदानिक स्थापन (केन्द्र सरकार) नियम 2018 के प्रावधानों के अन्तर्गत अस्थाई एवं स्थाई पंजीकरण 31.08.2019 करना सुनिश्चित करें। यदि उक्त अवधि के पश्चात् भी कोई चिकित्सा नैदानिक प्रयोगशाला या रोगी विज्ञान प्रयोगशाला का बिना पंजीकरण संचालित हैं तो उक्त नियमों में निर्धारित दड (Penalty) के अनुसार कार्यवाही की जावें।

01.07.19

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः चि.प्र./क्लि.एस.एक्ट /2019/ 228-37 दिनांकः 2-7-19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक जोन, राजस्थान।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को मेल कराना एवं वेबसाइट अपलोड सुनिश्चित करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

01.07.19

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपर